भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 222
(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>सी.एस.आर. के अंतर्गत व्यय</u>

222. श्री अर्जुन राम मेघवालः
श्री एम. बी. राजेशः
श्री ए. के. एस. विजयनः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत कारपोरेट घरानों द्वारा लाभांश का कितने प्रतिशत व्यय के लिए निर्धारित किया जाता है और क्या सरकार इस प्रतिशत में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत विभिन्न कारपोरेट घरानों द्वारा व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और इन कारपोरेट घरानों द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या कंपनियों द्वारा सीएसआर मानकों का अनुपालन तथा साथ ही सीएसआर मानकों के गैर-कार्यान्वयन हेतु दंडात्मक उपबंधों की निगरानी के लिए कोई तंत्र है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सीएसआर पर व्यय के संबंध में कारपोरेट क्षेत्र ने अपनी पक्षदारी/आपत्ति व्यक्त की है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) और (ख): कारपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार इसके दायरे के अंतर्गत आने वाली कंपनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कारपोरेट

सामाजिक दायित्व नीति पर तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में हुए अपने औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करें। इस प्रतिशत में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ): नियमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(ड.) और (च): जी, नहीं।

*****